भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

सफ्दरजंग अस्पातल, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड अस्पताल और कलावती सरन चिल्ड्रेन्स अस्पताल नई दिल्ली में एक साथ **"सहायक"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी क े दिनांक 13.10.2015 क े का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफ्दरजंग अस्पातल, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड अस्पताल और कलावती सरन चिल्ड्रेन्स अस्पताल नई दिल्ली में एक साथ **"सहायक"** पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या <u>medicalhospital61@gmail.com</u> पर ई- मेल कर सकते हैं।

(राम नरेश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 23061843

(राम नरेश)
(RAM NARESH)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीखः , 2024

अधिसूचना

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल के प्रधान लिपिक, लेखापाल एवं सहायक अधीक्षक स्टोर, के भर्ती नियम, 1977, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 1996, कार्यालय अधीक्षक एवं प्रधान लिपिक, भर्ती नियम, 2005 और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सहायक अधीक्षक भंडार, भर्ती नियम, 1996, कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 1993, प्रधान लिपिक, भर्ती नियम,1990, सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 1994 एवं लेखापाल, भर्ती नियम 1981 लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2019 कलावती सरन बाल चिकित्सालय द्वारा उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,केन्द्रीय सरकार अस्पताल,नई दिल्ली में सहायक (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2024 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3.भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 . व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक	131* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 1. **सफदरजंग अस्पताल** – 50 पद 2. **डॉ. आर एम एल अस्पताल**-38 पद 3. **एलएचएमसी एवं एसएसकेएच**- 33 पद 4. **केएससीएच- 10 पद**	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रूपये)के स्तर-06 में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पणः परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा(अल्पकालिक संविदा सहित)।	प्रोन्नतिः नई दिल्ली के सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के पदोन्नत प्रवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रूपये) में सभी केन्द्रीय सरकार अस्पताल, नई दिल्ली में नियमित सेवा की हो और जिन्होंने प्रशासन एवं स्थापना के क्षेत्र में विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष संस्थानों और संगठनों से दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी): i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः- 1. अपर महानिदेशक /उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संबंधित अस्पतालों को देखने वाले उप निदेशक - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

			क्षेत्रों,स्वायत संस्थान या संवेधनिक संगठन,सार्वजनिक सेटर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारीः (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या (ii) जो मूल काडर या विभाग में स्तर-05 के वेतन मैट्रिक्स(29200-92300 रुपये) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जो मूल काडर या विभाग में स्तर-04 के वेतन मैट्रिक्स (25500/- 81100/-रुपये) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 10 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: II. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और स्थापना तथा सामान्य प्रशासनिक कार्य में दो वर्षों का अनुभव टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(राम नरेश) अवर सचिव, भारत सरकार